



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2880]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 2018/ श्रावण 4, 1940

No. 2880]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 2018/SHRAVANA 4, 1940

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

का.आ. 3664(अ).—केन्द्रीय सरकार, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 16) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 26 जुलाई, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 428/03/2016-एवीडी-IV(बी)]

श्रीनिवास आर. कटिकीथला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2018

S.O. 3664(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 (16 of 2018), the Central Government hereby appoints the 26th day of July, 2018, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 428/03/2016-AVD-IV(B)]

SRINIVAS R. KATIKITHALA, Jt. Secy.